सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 347 राँची, शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2025

संख्या- 01/नीति-05-03/2024-*1187*--विभागीय अधिसूचना संख्या 903 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अधिसूचित ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 1;पपपद्ध में प्रावधानित है कि उक्त नियमावली विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

उक्त नियमावली के नियम 57;पद्ध में प्रावधानित है कि सभी प्रकार के मदिरा की खुदरा बिक्री के दुकान से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से (जिसे आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा) निरसित हो जायेंगी और सभी खुदरा मदिरा दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश के अधीन की जायेगी ।

2. उक्त के आलोक में अधिसूचित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत खुदरा उत्पाद दुकानो का संचालन दिनांक 01.09.2025 से प्रवृत्त होगा ।

ह0/-

आयुक्त उत्पाद,
झारखंड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 347 - 50